संख्या-37/2017/2084/22-2-2016-17(11)/2003

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रम्हा पुत्र श्री बुद्धिसागर, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावास्ती की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3/(एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रम्हा पुत्र श्री बुद्धिसागर, ग्राम सिटकहना, थाना-मल्हीपुर वर्तमान रिसिया, जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती का रहने वाला है। बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01-08-1977 को सायंकाल लगभग करीब 06:00 बजे बल्लम् व लाठी से हरगोविन्द की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए188/1977 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय, बहराइच द्वारा दिनांक 27-09-1978 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त है। जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 23-09-2016 में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती ने जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम् व लाठी से हरगोविन्द की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट ज्ञावस्ती की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रोबेशन बोर्ड की बैठक में किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ब्रम्हा पुत्र श्री बुद्धिसागर, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावती को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-4358/2015 में पारित आदेश दिनांक 26-07-2016 के अनुपालन एवं उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ब्रम्हा (बन्दी संख्या-37540) पुत्र श्री बुद्धिसागर, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2017/2084(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-37/2017/2084/22-2-2016-17(11)/2003

दिनांक 10 जनवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध बन्दी ब्रम्हा (बन्दी संख्या-37540) पुत्र श्री बुद्धिसागर, ग्राम सिटकहना, थाना-मल्हीपुर वर्तमान रिसिया, जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती का रहने वाला है। बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01-08-1977 को सायंकाल लगभग करीब 06:00 बजे बल्लम् व लाठी से हरगोविन्द की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए188/1977 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय, बहराइच द्वारा दिनांक 27-09-1978 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी के 05 सहअभियुक्त है। जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 23-09-2016 में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती ने जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बल्लम् व लाठी से हरगोविन्द की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट ज्ञावस्ती की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रोबेशन बोर्ड की बैठक में किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ब्रम्हा पुत्र श्री बुद्धिसागर, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्राव्ती को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।